

17 12  
24

पपावती पेश। वकील प्रार्थी / प्रार्थी को आवाज  
लगाई गयी। बार-बार आवाज लगाने के बावजूद  
भी वकील प्रार्थी / प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित  
नहीं होने पर प्रार्थी का आवेदन अदम दायरी  
अदम पेशी में स्वीकृत किया जाता है। पपावती  
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर  
वारिवक्त इफतार हो। *Amulya*